न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/75/2019

अपीलाट रेवत कुमार मेगवाल पुत्र श्री शंकरलाल मेगवाल
निवासी कांकराला रोड़, राईकों का गोलिया, समदड़ी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार समदड़ी

आदेश

दिनांक : 11.12.2019

अपीलार्थी रेवत कुमार मेगवाल पुत्र श्री शंकरलाल मेगवाल निवासी कांकराला रोड़, राईकों का गोलिया, समदड़ी ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार समदड़ी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 23.10.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 923512 दिनांक 04.09.2019 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार समदड़ी को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना यथा उपलब्धता जरिये डाक भिजवाई जा चुकी है, शेष प्रश्नों का जवाब सूचना अधिकार के दायरे में नहीं आने से दिया जाना अपेक्षित नहीं है, लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट व रेस्पोडेंट को सुना एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई उपलब्ध सूचना दी जा चुकी है, शेष प्रश्नों का जवाब सूचना अधिकार के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना की परिभाषा में नहीं होने से देय नहीं है तथा प्रार्थना–पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया गया है, लिहाजा रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Ansh

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.12.28 13:58:32 IST
Reason: SelfAttested